



फार्म III (स्कीम-III के पैरा 3 के उप-पैरा (5) को देखें)
Form III (Refer Sub-Para (5) of Para 3 of Scheme III)

भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं.-ओएचएसएमएस/एल- 5000426

Licence NO. OHSMS/L-5000426

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016(2016 का 11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के नाते, मेघालय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, आर्देन, लुम्पिंगनगड, जिला - पूर्वी खासी हिल्स, शिलांग - 793014 मेघालय को मंजूरी देता है/पुनः प्रमाणन देता है (जिसे इसमें इसके पश्चात इसे अनुज्ञसिधारी कहा गया है) इस अनुसूची में वर्णित विशेष तौर पर उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं के संबंध में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के अनुज्ञसिधारकों की ब्यूरो की सूची में अनुज्ञसिधारी के अनुसार इसी संख्या धारक को अधिकार एवं अनुज्ञसि सूचीबद्ध किया जाए। आईएस/आईएसओ 45001 : 2018 के अनुसार स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के अधीन उक्त किए गये पते पर केवल अनुज्ञसिधारक धारक द्वारा ऐसे उत्पाद एवं/या सेवाओं या प्रक्रियाओं को निर्मित किया/उपलब्ध कराया/चलाया जायेगा।

By virtue of the power conferred on it by, the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Bureau hereby grants/re-certifies to **Meghalaya State Pollution Control Board Arden, Lumpyngngad, Dist - East Khasi Hills, Shillong - 793014, Meghalaya** (hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's list(s) of Licensee of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Occupational Health & Safety Management Systems in accordance with IS/ISO 45001 : 2018.

अनुज्ञसि उक्त अधिनियम और उनके अधीन नियमों तथा विनियमों के संबंधित उपबंधों की शर्त पर मंजूर किया गया है/पुनः प्रमाणन किया गया है तथा उक्त संदर्भित अनुज्ञसियों को इसके तहत शासित किया जाता है, तथा अनुज्ञसिधारक उक्त नियमों एवं विनियमों का पालन किए जाने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है।

The licence is granted/re-certified subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations यह लाइसेंस 14 मार्च 2022 से 13 मार्च 2025 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from **14 March 2022 to 13 March 2025** and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2022 के मार्च माह के
Signed, Sealed and Dated this

15th

दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित
March, Two Thousand and Twenty Two

उप महानिदेशक

Deputy Director General

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

पवन कुमार कन्दोई / Pawan Kumar Kandoi

उप महानिदेशक (पूर्वी) / Dy. Director General (Eastern)

भारतीय मानक ब्यूरो / BUREAU OF INDIAN STANDARDS

एल एम आई सी भवन (आठवीं मंजिल), प्लॉट नंबर 7/7, 7/8,

ब्लॉक - सीपी, सेक्टर - V, साल्ट लेक, कोलकाता - 700091

NSIC Building (8th Floor) at Plot No. 7/7, 7/8,

Block - CP, Sector - V, Salt Lake, Kolkata - 700091



